यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, अधीक्षक, जिला कारागार, अल्मोडा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधीक्षक, जिला कारागार, अल्मोडा** के माह **मई 2014** से **मई, 2018** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री **अजय कुमार श्रीवास्तव एवं श्री खजान सिंह**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक **11.06.2018** से **15.06.2018** तक **श्री प्रेम चन्द्र, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री **राम सनेही** एवं श्री **एस. के. सिंह** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक **05.05.2014** से **09.05.2014** तक श्री **पी. सी. श्रीवास्तव**, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह **09/2012** से **04/2014** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **05/2014** से **05/2018** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कुमाऊ परिक्षेत्र, अल्मोडा

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रू लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	125.19	114.14	55.15	52.58	-	13.62
2016-17	-	-	162.20	96.83	70.01	69.65	-	65.73
2017-18	-	-	166.78	145.08	76.69	69.68	-	28.71

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः शून्य

इकाई को बजट आवंटन (केन्द्र एवं राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई कार्यालय **अधीक्षक, जिला कारागार, अल्मोडा** श्रेणी **(सी)** की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में उत्तराखण्ड गढवाल परिक्षेत्र एवं अनुपालन लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं प्रतिवेदन कार्यालय **अधीक्षक, जिला कारागार, अल्मोडा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। विस्तृत जांच हेतु माह **अप्रैल/2017 एवं मई/2018** को चयनित किया गया। उपरोक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय की अधिकता के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद **149** के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, **1971** (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13** एवं **16** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, **2007** तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई है।

भाग दो अ

<u>प्रस्तर:1-</u> रू 47.94 लाख की भोजन एवं सामग्री सम्पूर्ति पर अनियमित व्यय किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008, के प्रस्तर 12.1 के अनुसार एक लाख से अधिक सामग्री क्रय हेतु, संशोधित नियमावली-2015 के प्रस्तर 12.1 के अनुसार तीन लाख से अधिक की सामग्री क्रय हेतु एवं संशोधित नियमावली-2017 के प्रस्तर 12.1 के अनुसार 2.50 लाख से अधिक की सामग्री क्रय हेतु निविदा प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ताकि प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ प्राप्त किया जाए!

कार्यालय की क्रय पत्रावली की जांच में पाया गया है कि कारागार हेतु भोजन, सामग्री सम्पूर्ति एव अन्य कार्यालय के प्रयोगार्थ सामग्री के क्रय हेतु जिला कारागार, अल्मोडा द्वारा दिनांक 28 सितम्बर 2017 को उत्तर उजाला अल्मोडा में विज्ञप्ति निकाली गई थी। इसी के तारतम्य में दिनांक 12.10.2017 को क्रय समिति के समक्ष कोटेशन खोले जाने की तिथि निर्धारित की गई। तथापि मैसर्स उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय स्वायत सहकारिता, दुगालखोला, अल्मोडा द्वारा दिनांक 11.09.2017, मैसर्स अल्मोडा जिला केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार, अल्मोडा द्वारा 12.09.2017 एवं मैसर्स बुनकर औद्योगिक उत्पादन सह0 समिति लि0, गंगोला मोहल्ला, अल्मोडा द्वारा दिनांक 12.09.2017 को कोटेशन प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 16.09.2017 को क्रय समिति के सदस्य सहायक कोषाधिकारी, अल्मोडा, रा0अनु0 जाति छात्रावास, अल्मोडा द्वारा अधीक्षक जिला कारागार, अल्मोडा के समक्ष कोटेशन खोला गया जिसमें मैसर्स उत्तराचंल बहुउददेशीय स्वायत सहकारिता, अल्मोडा की अधिकतम वस्तुओं की दरें न्यूनतम पाये जाने के कारण क्रय समिति द्वारा उक्त फर्म की कोटेशन स्वीकृत कर दिया गया।

आगे जांच में यह भी पाया गया है कि जिला कारागार, अल्मोडा द्वारा 28.09.2017 को उत्तर उजाला में विज्ञप्ति निकाली गई थी एवं खोले जाने की तिथि दिनांक 12.10.2017 निर्धारित की गई थीं। परन्तु इसके पूर्व ही तीन फर्मो से दिनांक 11.09.2017 एवं 12.09.2017 को कोटेशन लेकर क्रय समिति द्वारा अनुमोदन कर दिया गया। जिस फर्म का कोटेशन दिनांक 16.09.2017 को स्वीकृत किया गया है उसी फर्म से दिनांक 11.07.2017 से उसी दर से सामग्री क्रय की जा रही है, जिस दर पर दिनांक 16.09.2017 से कोटेशन स्वीकृत हुआ हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में भोजन पर रू 34.00 लाख, सामग्री सम्पूर्ति पर रू 4.90 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू 9.04 लाख की भोजन एवं सामग्री सम्पूर्ति पर व्यय बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये ही मात्र कोटेशन के आधार पर क्रय किया गया है। इसके अतिरिक्त मैसर्स आशोक धवन अल्मोडा एवं मैसर्स उत्तराचंल बहुउददेशीय स्वायत सहकारिता अल्मोडा से भी भोजन सामग्री एवं विभिन्न सामग्री क्रय की जा रही है, जोकि क्रय नियमावली का पालन नहीं किया गया है। इस प्रकार विभाग द्वारा दिसम्बर, 2015 से नवम्बर, 2016 तक एक वर्ष के लिए निविदा किया जाना चाहिए था। लेकिन इकाई द्वारा आगे निविदा न कर उसी दर से सामग्रीं क्रय की जा रही थी। इसके बाद भी निविदा नही की गई है। आगे जांच में यह भी पाया गया है कि जिस दर से सितम्बर 2015 में भोजन सामग्री की दरे स्वीकृत की गई थीं उसी दरे से कोटेशन लेकर क्रय किया जा रहा है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने कहा कि भविष्य में जवाब दे दिया जायेगा।

अत: रू 47.94 लाख की भोजन एवं सामग्री सम्पूर्ति पर अनियमित व्यय किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो 'ब'</u>

<u>प्रस्तर:01-</u> प्रस्तर: फर्म के बिलों से रू 66386 आयकर की कटौती न किया जाना।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 सी के अर्न्तगत ठेकेदार/उपठेकेदार व्यक्गित/एचयूएफ से 1 %एवं अन्य से 2 % की दर से आयकर की कटौती किये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय के भोजन एवं सामग्री सम्पूर्ति मद के भुगतान बिल बाउचर की जांच में पाया गया है कि निम्न फर्म को विभिन्न बिलों का भुगतान किया गया है, परन्तु उक्त बिलों से रू 66386 के आयकर की कटौती नही की गई है। जिसका विवरण इस प्रकार है।

वित्तीय वर्ष	फर्म का नाम	भोजन मद एवं औषधी से भुगतान की गई धनराशि	योग	आयकर की कटौती 2%
2017-18	उत्तराखण्ड बहुउददेशीय स्वायत सह 0स 0 डाअल्मो	3319283	3319283	66386

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने कोई उत्तर नही दिया है। अत: फर्मो के बिलों से रू 66386 के आयकर की कटौती न किये जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग दो 'ब'</u>

<u>प्रस्तर-2-</u> वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों के विरूद्ध व उच्चाधिकारी की संस्तुति के बिना रू 6.14 लाख कालातीत बिलों का अनियमित भुगतान।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड़-v भाग-प्रथम के प्रस्तर-159 के अनुसार सभी प्रकार के भारित व्यय का भुगतान तत्काल कर देना चाहिए। कदापि एक वित्तीय वर्ष के व्यय को दूसरे वित्तीय वर्ष के लिए भुगतान हेतु नहीं छोड़ना चाहिए। यदि सम्भव हो तो जब तक बजट का प्रावधान न हो, व्यय को टाल देना चाहिए।

कार्यालय, जिला कारागार, अल्मोड़ा के खाद्यान्न सामग्री आपूर्ति से सम्बंधित वाउचरों की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 माह (अप्रैल,2017 से जुलाई,2017 तक) में उक्त खाद्यान्न सामग्रियों की आपूर्ति/क्रय की गयी थी। उक्त सामग्री से सम्बंधित रू **614424/(संलग्न परिशिष्ट अ)** के समस्त बिल अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 में, एक ही दिन दिनांक 17.04.2018 को निर्गत/जारी किये थे एवं भुगतान किया गया था। जिससे यह स्पष्ट है कि कालातीत बिलों को उच्चाधिकारी से संस्तुति के अभाव में फर्म को अनियमित भुगतान किया गया है तथा साथ-साथ वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था।

लेखापरीक्षा में उक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि भविष्य में उत्तर दे दिया जायेगा। जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि आहरण व संवितरण अधिकारी वित्त के सम्पूर्ण नियमों व प्रावधानों को दर-किनार करके सरकारी धन का व्यय अपनी मनमरजी से कर रहा है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों की संज्ञान में लाया जाता है।

ले.प.प्रति.सं.-09/2018-19

परिशिष्ट-अ

क्र0 स0	इन्डेंट/आपर्ति की तिथि	बिल संख्या	बिल तिथि	आपूर्ति कर्ता फर्म का नाम	आपूर्ति की गई सामग्री का नाम	बिल की धनराशि
1	25.06.2017	1409	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	3760
2	28.06.2017	1410	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	8300
3	29.06.2017	1411	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	2065
4	30.06.2017	1412	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	41665
5	30.06.2017	1413	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	12500
6	30.06.2017	1414	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	18666
7	03.07.2017	1415	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	3600
8	07.07.2017	1416	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	7350
9	10.07.2017	1417	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	5476
10	10.07.2017	1418	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	2810
11	06.06.2017	1393	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	3675
12	07.06.2017	1394	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	2450
13	08.06.2017	1395	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	49840
14	08.06.2017	1396	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	6750
15	08.06.2017	1397	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	49625
16	14.06.2017	1401	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	3625
17	15.06.2017	1402	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	1500
18	21.04.2017	1360	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	13260
19	23.04.2017	1361	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	7625
20	26.04.2017	1363	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	32810
21	30.04.2017	1365	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	10830
22	30.04.2017	1366	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	21746
23	01.05.2017	1367	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	2450
24	02.05.2017	1368	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	35520
25	02.05.2017	1369	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	49850
26	03.05.2017	1370	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	4250
27	06.05.2017	1372	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	2060
28	09.05.2017	1373	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	3375
29	11.05.2017	1375	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	28205
30	14.05.2017	1376	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	4250
31	15.05.2017	1377	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	19180
32	16.05.2017	1378	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	6125
33	20.05.2017	1379	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	3700
34	22.05.2017	1381	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	6805
35	24.05.2017	1382	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	6580
36	27.05.2017	1383	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	27655
37	28.05.2017	1384	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	2760
38	29.05.2017	1386	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	4375
39	30.05.2017	1387	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	13925
40	31.05.2017	1388	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	18277
41	31.05.2017	1389	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	11000
42	31.03.2017	1351	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	24334
43	31.03.2017	1352	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	13300
44	01.04.2017	1354	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	15220
45	02.04.2017	1355	17.04.2018	अशोक धवन अल्मोड़ा	खाद्यान्न सामग्री	1300
					योग	**614424**

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः3- वेतन से राजकीय वाहन की वसूली रू 32000 न किये जाने से राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्याः 84/xxvii(7)50(6)/2017, दिनांकः 07 जून, 2017 के अनुसार प्रत्येक अधिकारी जिन्हें सरकारी वाहन आवंटित है, उनकों राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया गया है कि उक्त के अन्तर्गत राजकीय कोष में जमा किये जाने प्रति वाहन प्रतिमाह की वर्ममान धनराशि में वृद्धि करते हुए दिनांक 01 मई, 2017 से प्रत्येक वाहन हेतु रू 2000/ प्रतिमाह की राशि निश्चित की गई। इसके पूर्व 200-कि0मी0 प्रति माह तक वाहन का निजी प्रयोग करने पर राजकीय कोष में प्रतिमाह प्रति वाहन के आधार पर कार के लिए रू 500/ तथा जीप के लिए रू 400/ जमा किया जाना था।

कार्यालय के वेतन बिल पंजिका एवं जी0वी0आर0 से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया है कि इस कार्यालय में मुख्यालय कारागार महानिरीक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा 20 जुलाई 2016 में वाहन संख्या यू.ए.07 एफ 519 मार्शल जीप आवंटित किया गया था। श्री आशोक कुमार, अधीक्षक अप्रैल 2016 से वर्तमान तक कार्यरत हैं। इनके वेतन से वाहन की कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार 07/16 से 4/17 तक 10×400=4000 एवं मई 2017 से जून 2018 तक 14×2000=28000 यानि कुल 32000 की धनराशि की कटौती नहीं की गई है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कोई जवाब नहीं दिया है।

अतः अधीक्षक के वेतन से राजकीय वाहन की वसूली रू 32000 न किये जाने से राजस्व की हानि का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो 'ब'</u>

<u>प्रस्तर-4-</u> राशन भण्ड़ार में खाद्यान्न आपूर्ति से सम्बंधित खाली बोरो, खाली प्लास्टिक कट्टे, खाली टिनों इत्यादि का विगत कई वर्षों से रख-रखाव न करने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति।

उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति (प्रोकयूरमेंट) नियमावली, 2008 के नियम-76 के अनुसार रजिस्टर में उल्लिखित आस्तियों/सामग्री की उपलब्धता और पुरानी और निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण हेतु कार्यालयाध्यक्ष/ सक्षम प्राधिकारी या उसके नामिति द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च तक या वार्षिक सत्यापन किया जाए।

कार्यालय, जिला कारागार, अल्मोड़ा के भण्ड़ार (राशन) पंजिकाओं के अवलोकन मे पाया गया कि बन्दियों हेतु आपूर्ति की गयी खाद्यान्न से सम्बंधित खाली बोरों, खाली प्लास्टिक कट्टों, खाली लोहे के टीनो व प्लास्टिक टीनो इत्यादि का विगत कई वर्षों से रख-रखाव नही किया जा रहा था। भण्ड़ार के भौतिक सत्यापन के दौरान भी उक्त खाली खार्जा भण्ड़ार में नहीं पाया गया था जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को उक्त खाली खार्जा की विधिवत नीलामी से प्राप्त राजस्व की क्षति स्पष्ट होती है।

आगे भण्ड़ार पंजिकाओ के अवलोकन में यह भी पाया गया है कि भण्ड़ार पंजिका में उल्लिखित आस्तियों/सामग्रियों का सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 से लेखापरीक्षा तिथि तक वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया था। न निष्प्रयोज्य या अक्रियाशील आस्तियों/सामग्रियों को सूचीबद्ध किया गया था। जबकि उपरोक्त नियमावली के प्रश्नगत नियम के अनुसार वार्षिक भौतिक सत्यापन कर या करवाकर अक्रियाशील एवं अनुपयोगी सामग्रियों को सूचीबद्ध करके विधिवत नीलामी की जानी चाहिए थी जोकि सक्षम अधिकारी द्वारा विगत कई वर्षों से नहीं किया गया था। अनुपयोगी, अक्रियाशील सामग्रियों की समय से नीलामी न हो पाने से सामग्रियों के खराब होने की पूरी सम्भावना बनी रहती है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व क्षति होना सुनिश्चित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में विगत कई वर्षों का उक्त खाली खार्जा के सम्बंध में कुछ न बताते हुए मात्र यह बताया गया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

<u>प्रस्तरः5-</u> विगत 25 वर्षों से कारागार में संस्थापित जनरेटर का संस्थापन से ही क्रियाशील न किया जाना।

कार्यालय, जिला कारागार, अल्मोड़ा के जनरेटर से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय, महानिरीक्षक कारागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक दिनांकः 29.02.2000 में उल्लेखनीय है कि कारागार, अल्मोड़ा को मै0 एस0एम0 ब्रदर्स, आजाद नगर, कानपुर द्वारा वर्ष 1993 में आपूर्तित 25के0बी0 जनरेटर सेट अभी तक क्रियाशील नहीं किया गया था, जबकि सचिव, गृह कारागार-विभाग, उत्तर प्रदेश ने जनरेटर सेट को तत्काल चालू कराने के निर्देश भी दिये थे।

पुनः कार्यालय, जिला कारागार, अल्मोड़ा के पत्रांक दिनांक 12 जुलाई, 2004 के माध्यम से जनरेटर आपूर्ति कर्त्ता उक्त फर्म से अनुरोध किया गया कि आपके द्वारा वर्ष 1993 में 25 के0वी0 का जनरेटर सेट इस कारागार को आपूर्तित किया गया था। लेकिन अभी तक आपके द्वारा उसे क्रियाशील नहीं किया गया। इस कारागार पर समय-समय पर होने वाले उच्चाधिकारियों के निरीक्षण में उक्त जनरेटर सेट को क्रियाशील करने हेतु बार-बार निर्देशित किया जा रहा था। तद्समय उक्त जनरेटर को क्रियाशील करने हेतु अल्मोड़ा जनपद में कोई तकनीशियन भी नहीं था।

आगे सम्बंधित अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि कारागार में संस्थापित जनरेटर सेट के संचालन से सम्बंधित कोई लॉगबुक एवं अन्य संचालन से सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। वर्ष 2004 के बाद कार्यालय द्वारा उक्त जनरेटर को क्रियाशील करने हेतु भी कोई प्रयास नहीं किया गया तथा न ही मुख्यालय को उक्त के सम्बंध में सूचित किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान उक्त जनरेटर तालाबन्द कक्ष में संस्थापित था, जिससे स्पष्ट होता है कि जनरेटर सेट स्थापन तिथि से ही क्रियाशील नहीं किया गया है जिसकी पुष्टि उक्त पत्रों से भी होती है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में मुख्यालय/उच्चाधिकारी के दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी तद्नुसार लेखापरीक्षा को अवगत किया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो -''अ''प्रस्तर संख्या	भाग दो -''ब'' प्रस्तर संख्या	पूणीटिप्प 0ले 0न 0 प्रस्तर सं0
	शून्य	शून्य	शून्य
	शून्य	शून्य	शून्य

(ब) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेषण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------- --- ---------- शून्य ----------

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधीक्षक जिला कारागार, अल्मोडा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः --- ---------- शून्य --

सतत् अनियमितताएः -- - ---------- ----- शून्य --

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया है।

क्रंम संख्या	**नाम**	**पद नाम**	**कार्यकाल अवधि**
1	श्री मनोज कुमार आर्या	अधीक्षक	09.02.2012 से 08.06.15
2	श्री अशोक कुमार	अधीक्षक	09.06.2015 से वर्तमान

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधीक्षक, जिला कारागार, अल्मोडा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ (सामान्य क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ''महालेखाकार भवन'' दिवतीय तल एल-218 कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र